तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/5/25 को पेश हो।	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 83/2022

1. फूलवती पत्नी फूलसिंह जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. महादेवी पत्नी देबेन्द्र कुमार
3. लोकेश कुमारी पत्नी लोकेन्द्र
4. शांति देवी पत्नी दुलीचंद
5. सत्यदेव पुत्र दुलीचंद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

बनाम

1. गुलाब सिंह पुत्र निनुआ जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. कप्तानसिंह पुत्र जीवन लाल जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन।
3. सोमवीर पुत्र धर्मसिंह
4. उदय सिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण
3. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः—26.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1320/0.96, 1321/0.01, 1322/0.03, 3299/0.49, 1296/0.10, 1300/0.04, 2318/0.30है0 बाके कुरका तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी का खातेदारान एवं हिस्सेदारों के मध्य आज तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीगण के परिवारी कुटुम्ब भाई है राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मौके पर रकवा हिस्सा के मुताबिक नहीं दे रहे है। विभाजन हेतु जब अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण से साफ इन्कार कर दिया एवं दिनांक 18.06.2022 को स्पष्ट शब्दों से मना कर दिया तथा एलानिया धमकी दी कि हम तुमको मौके पर जमीन नहीं देंगे तथा तुम्हारे हिस्से से तुमको बेदखल कर देंगे एवं विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय कर देंगे उक्त दी गई धमकी के कारण प्रार्थीगण को वादकारण पैदा हुआ है। प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 29.08.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 ना

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

तो वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और न उनका इस आराजी पर कब्जा काश्त है और न उन्होंने अपने प्रा0प. में होना प्लीड किया है और प्रा.प. की मद संख्या 3 में उन्होंने स्वय स्वीकार किया है कि उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है, अतः उपरोक्तानुसार जब प्रार्थीगण का इस बादपत्र में वर्णित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार ही नहीं है तो उनके द्वारा विभाजन वाद व प्रा.प. चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण सं0 4 व 5 द्वारा पूर्व में पेश किया गया विभाजन का वाद दावा संख्या 90/2009 विचाराधीन होते वो दूसरा विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 अपनी समस्त सहखातेदारी की आराजी के सम्बन्ध में विभाजन वाद संख्या 90/2009 उनवानी शान्तिदेवी बनाम गुलाबसिंह वगै0 इस न्यायालय में पेश कर चुके है जो कि अब माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन है इसलिये पूर्व विभाजन वाद के चलते उक्त विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजी पूर्वज निनुआ पुत्र बंशी की छोडी हुयी आराजी है जिसमें उसकी पुत्री भगवानदेई ने अपने 1/4 भाग आराजी की अपने नाम घोषणा कराने बावत् एक दावा संख्या 95/2011 न्यायालय श्रीमान में पेश कर रखा है जिसमें बेचान ना करने बाबत् स्थगन जारी है। चुकिं उक्त वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराये जाने बाबत् है इसलिए इस वाद के निर्णय हो जाने के बाद ही विवादित आराजी का विभाजन संभंव हो सकेगा। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है जिसके कारण उक्त आराजी पर शामिल रूप से काश्त करना मुश्किल हो रहा है। अप्रार्थीगण सडक के किनारे बाली आराजी पर कब्जा करना चाहते है जिससे के कुरे रिपोर्ट इनके मुताबिक आये। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद रिकार्ड एवं मौके की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी में सभी खातेदार अपने अपने मनवट के मुताबिक काश्त कर रहे है एवं प्रत्येक व्यक्ति का आराजी की प्रत्येक इंच पर कब्जा है प्रार्थीगण के दावे में यह स्पष्ट नहीं कि कौन किस नम्बर पर कब्जा करना चाहता है ये स्पष्ट नहीं किया है। उक्त विवादित आराजी पर भगवानदेई ने अपने 1/4 भाग आराजी की अपने नाम घोषणा कराने बावत् एक दावा संख्या 95/2011 न्यायालय श्रीमान में पेश कर रखा है जिसमें बेचान ना करने बावत् स्थगन जारी है। बाबजूद स्थगन शांन्तिदेवी ने विवादित आराजी का बेचान किया है एवं शांन्तिदेवी किस स्थान पर काबिज थी ये कोर्ट को नहीं बताया। प्रार्थीगण झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधज्ञा जारी करबाना चाह रहे है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है चूंकि सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार होने आधार पर कानूनी विभाजन चाहा है एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है परन्तु अपनी उक्त आराजी पर अन्य मुकदमा भगवानदेई बनाम शान्तिदेवी लम्बित है एवं उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित नहीं है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्थगन जारी किया हुआ है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जमाबंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर